रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3961] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 04, 2018/ आश्विन 12, 1940
No. 3961] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 04, 2018/ASVINA 12, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2018

का.आ. 5140(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2874(अ) तथा 28 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 3522 (अ) के *तहत* अपर मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश-IV हैदराबाद न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के रूप में नियुक्त किया था जिसका क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण तेलंगाना राज्य था;

और जबकि, श्री के. रवींद्र रेड्डी, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2874(अ) के *तहत* उक्त विशेष न्यायालय का संचालन करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, को स्थानांतरित कर दिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2874(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर श्री टी. श्रीनिवास राव, IV अपर मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश-सह-XVIII अपर मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायालय, हैदराबाद को उक्त विशेष न्यायालय का संचालन करने के लिए न्यायाधीश के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस-IV (पार्ट-I)(खण्ड.-2)]

प्रवीण वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2018

S.O. 5140(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notifications number S.O. 2874(E) dated the 16th October, 2015, and S.O. 3522(E) dated the 28th December, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of IV Additional Metropolitan Sessions Judge's Court, Hyderabad, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Telangana for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Sri K. Ravinder Reddy, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 2874(E) dated the 16th October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 2874(E) dated the 16th October, 2015, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Judicature at Hyderabad, hereby appoints Dr. Sri. T. Srinivasa Rao, IV Additional Metropolitan Sessions Judge-cum-XVIII Additional Chief Judge, City Civil Court, Hyderabad, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009/IS-IV(Part-I)(Vol.-2)]

PRAVEEN VASHISTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.06 14:41:12 +05'30'